



संचालनालय
छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा
DIRECTORATE
CHHATTISGARH STATE AUDIT

छत्तीसगढ़ की पंचायती राज संस्थाओं में स्वामी विवेकानंद युवा
प्रोत्साहन योजना की दक्षता संपरीक्षा

(Performance Audit)

वर्ष 2022-23



अंकेक्षण निष्पादन :
क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर
छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा



छत्तीसगढ़ शासन

Government of Chhattisgarh

वर्ष 2022-23



क्षेत्रीय कार्यालय

छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा

बिलासपुर (छ.ग.)

प्राक्कथन

विगत कुछ वर्षों में विकास कार्यों तथा कल्याणकारी गतिविधियों के संबंध में न केवल केन्द्र तथा राज्य सरकार के द्वारा बल्कि कुछ बड़े स्थानीय प्राधिकरणों, निगमित तथा गैर निगमित निकायों के द्वारा भी किये जा रहे शासकीय व्यय के स्वरूप में काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुये हैं। इस कारण छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के द्वारा अपने नियमित अंकेक्षण के साथ-साथ दक्षता संपरीक्षा भी किया जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः निकायों में प्रचलित योजनाओं के दक्षता लेखा परीक्षा के परिणामों के आधार पर लेखा प्रतिवेदनों में योजना के लक्ष्यों तथा पूर्वानुमानों के संदर्भ में वर्ष में योजना व्यय की प्रगति तथा कार्य कुशलता का संपूर्ण मूल्यांकन करते हुये लाभांशित वर्गों को प्राप्त हुये लाभ की भी समीक्षा की जाती है। तत्कालीन अतिरिक्त प्रमुख सचिव, वित्त के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समीक्षा बैठक के दौरान भी स्थानीय निकायों, निगमित/अनिगमित निकायों आदि में संचालित योजनाओं के दक्षता संपरीक्षा किये जाने के निर्देश दिये गये थे। इस अनुक्रम में वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर द्वारा जनपद पंचायत स्तर पर संचालित स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना का दक्षता संपरीक्षा किया गया।

प्रदेश में ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को गति प्रदान करने, ग्रामीण युवाओं में सकारात्मक एवं सृजनात्मक विचार का विकास कर जमीनी स्तर पर गवर्नेन्स प्रक्रिया तथा आर्थिक विकास गतिविधियों में सक्रिय भागीदार बनाने एवं उनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु उपयुक्त वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिनांक 20.06.2013 को स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई। जनपद पंचायत इस योजना के क्रियान्वयन व मूल उद्देश्यों की प्राप्ति में कहां तक सफल हो पा रही है एवं प्रदेश के ग्रामीण युवाओं को इस योजना से कितना लाभ हुआ, इस उद्देश्य से शासन के दिशानिर्देशों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के बिलासपुर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 07 जनपद पंचायतों में संचालित स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना का दक्षता संपरीक्षा किया गया।

यह प्रतिवेदन संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी प्रेषित किया जायेगा, जिससे कि इस योजना के क्रियान्वयन में दृष्टिगत कमियों को दूर कर, योजना के मूल उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

दिनांक — 31.10.2022
नवा रायपुर अटल नगर



(अनुराग पाण्डेय)
भा. प्र. से.
संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा

विषय सूची

क्रमांक	विवरण	कण्डिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
1	प्राक्कथन		
अध्याय-1 परिचय			
2	प्रस्तावना	1.1	1
3	योजनांतर्गत संचालित होने वाली गतिविधियां/कार्यक्रम	1.2	2
4	स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना की दक्षता संपरीक्षा का उद्देश्य	1.3	2
5	लेखा परीक्षा का मापदंड	1.4	2
6	दक्षता संपरीक्षा हेतु चयनित निकायों की जानकारी एवं अवधि	1.5	2
7	दक्षता संपरीक्षा की अवधि	1.6	3
अध्याय-2 दक्षता संपरीक्षा में सम्मिलित आपत्तियाँ			
7	क्रियान्वयन एवं क्रय समिति के गठन का अभाव	2.1	4
8	नेहरू युवा केन्द्र से समन्वय का अभाव	2.2	5
9	विकासखंड स्तर पर युवा प्रोत्साहन केन्द्र के स्थापना का अभाव	2.3	6
12	युवाओं के पंजीयन में निर्धारित प्रक्रिया के पालन का अभाव	2.4	6
13	वार्षिक कार्ययोजना तैयार किये बिना व्यय किया जाना अनियमित	2.5	7
14	गतिविधियों के संचालन, प्रशिक्षण आदि में मासिक व्यय सीमा के पालन का अभाव	2.6	11
15	जनपद स्तर पर मॉनिटरिंग एवं निगरानी का अभाव	2.7	12
16	पृथक से लेखा संधारण का अभाव	2.8	12
17	भौतिक/वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रेषण का अभाव	2.9	13
18	बिना कार्ययोजना के अनियमित राशि अंतरण	2.10	14
19	अभिलेख के अभाव में किया गया भुगतान/अंतरण राशि संदिग्ध	2.11	16
20	बिलासपुर क्षेत्रांतर्गत आर्ट ऑफ लिविंग से 08 दिवसीय प्रशिक्षण में निर्देशों के विपरीत अनियमित भुगतान	2.12	17
अध्याय-3			
21	निष्कर्ष एवं सुझाव	3	18
अध्याय-4			
22	दक्षता संपरीक्षा में सम्मिलित छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची	4	21
अध्याय-5			
23	परिशिष्ट	5	22-29

अध्याय-एक परिचय

1.1 प्रस्तावना :-

युवा शक्ति राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण पूंजी है। राष्ट्र का भविष्य मुख्यतः युवाओं के द्वारा विकास में दिये जाने वाले योगदान पर निर्भर करेगा। देश में बहुतायत आबादी गांवों में निवास करती है। युवा ग्रामीण विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ग्रामीण युवाओं की पहचान कर उनमें सकारात्मक एवं सृजनात्मक सोच का विकास कर जमीनी स्तर पर गवर्नेन्स प्रक्रिया तथा आर्थिक विकास गतिविधियों में सक्रिय भागीदार बनाकर, कार्यों में सहभागी बनाकर उनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु उपयुक्त वातावरण निर्मित करने, उनमें नैतिकता, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने, सामाजिक सरोकार की भावना विकसित करने, नेतृत्व एवं संगठनात्मक क्षमताओं का विकास करने एवं विभिन्न क्षेत्रों में स्वयंसेवी सहभागिता को प्रोत्साहित करने आदि उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रदेश के 146 जनपद पंचायतों में दिनांक 20.06.2013 को स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई।

उक्त योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर के पत्र क्रं./पंचा./पंग्रावि/2013/149 रायपुर, दिनांक 20.06.2013 द्वारा दिशा-निर्देश जारी कर लागू किये गये।

जनपद पंचायत इस योजना के क्रियान्वयन, मूल उद्देश्यों की प्राप्ति में कहां तक सफल हो पा रही है एवं प्रदेश के ग्रामीण युवाओं को इस योजना से कितना लाभ हुआ, इस उद्देश्य से शासन के दिशा-निर्देशों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के बिलासपुर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 07 जनपद पंचायतों में संचालित स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना का दक्षता संपरीक्षा किया गया।

1.2 योजनांतर्गत संचालित होने वाली गतिविधियां/कार्यक्रम :-

जनपद पंचायत क्रियान्वयन समिति द्वारा युवा प्रोत्साहन केंद्र के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों, क्षमता विकास कार्यक्रम, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा व स्वच्छता संबंधी गतिविधियां, योग एवं खेलकूद संबंधित गतिविधियों का आयोजन एवं प्राकृतिक आपदाओं के नियंत्रण में स्वयंसेवी गतिविधियों हेतु प्रोत्साहित करना, आधुनिक कृषि तकनीकों पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन एवं सामाजिक कुरीतियों, नशा, अंधविश्वासों के प्रति

सजग कर स्थानीय आवश्यकता एवं रुचियों के आधार पर चयनित गतिविधियों का आयोजन वर्ष भर किया जाना है। इस हेतु जनपद पंचायत की सामान्य सभा से वर्ष भर की मासिक गतिविधियों की कार्य योजना, कैलेंडर तथा बजट का अनुमोदन कराना आवश्यक है। गतिविधियों/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनपद पंचायत के संयोजन में युवा प्रोत्साहन केंद्र के द्वारा होगा।

अनेक गतिविधियां वन, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, समाज कल्याण, नेहरू युवा केंद्र, युवा कल्याण व खेलकूद जैसे विभागों के संसाधन सहयोग से भी आयोजित की जानी है।

1.3 स्वामी विवेकानन्द युवा प्रोत्साहन योजना की दक्षता संपरीक्षा का उद्देश्य :-

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 एवं योजनांतर्गत शासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत चयनित जनपद पंचायतों में स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के प्रचार-प्रसार की स्थिति, क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति एवं जनपद पंचायतों द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुरूप ग्रामीण युवाओं को स्थानीय आवश्यकता एवं रुचियों के आधार पर दिये जाने वाले प्रशिक्षणों की स्थिति आदि की जानकारी प्राप्त कर दृष्टिगत कमियों से संबंधित विभागीय अधिकारियों को अवगत कराना एवं योजना के मूल उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सुधारात्मक सुझाव प्रदान करना इस दक्षता संपरीक्षा का उद्देश्य है।

1.4 लेखा परीक्षा का मापदण्ड :-

1. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993
2. छ.ग. राज्य संपरीक्षा अधिनियम 1973
3. छ.ग. राज्य संपरीक्षा नियमावली 2004 में दिए गए प्रावधान
4. छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा योजना के संबंध में समय-समय पर प्रसारित आदेश/निर्देश/परिपत्र ।

1.5 दक्षता संपरीक्षा हेतु चयनित निकायों की जानकारी :-

संचालनालय छ.ग. राज्य संपरीक्षा इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ के पत्र क्र. /सी.एस.ए. /प्रति/1034 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 01/06/2022 के अनुपालन में क्षेत्रीय कार्यालय संयुक्त संचालक छ. ग. राज्य संपरीक्षा बिलासपुर द्वारा दक्षता संपरीक्षा हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम तिमाही में स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के चयन पश्चात् संचालक छ.ग. राज्य संपरीक्षा से अनुमोदन प्राप्त किया जाकर क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत संपरीक्षाधीन निकायों में से 07 जनपद पंचायतों का चयन कर दक्षता संपरीक्षा कार्य कराया गया।

चयनित स्थानीय जनपद पंचायत निम्नानुसार है:-

क्र.	निकाय का नाम	जिला
1	जनपद पंचायत कोटा	बिलासपुर
2	जनपद पंचायत बिल्हा	बिलासपुर
3	जनपद पंचायत पामगढ़	जांजगीर-चांपा
4	जनपद पंचायत जैजैपुर	जांजगीर-चांपा
5	जनपद पंचायत मुंगेली	मुंगेली
6	जनपद पंचायत लोरमी	मुंगेली
7	जनपद पंचायत पेण्ड्रा	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही

1.6 दक्षता संपरीक्षा की अवधि :-

योजना प्रारंभ दिनांक 20.06.2013 से 31.03.2022 तक।

अध्याय – दो उत्थापित आपत्तियाँ

2.1 क्रियान्वयन एवं क्रय समिति के गठन का अभाव:-

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2021-22 तक की दक्षता संपरीक्षा में छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर के पत्र क्रं./पंचा./पंग्रावि/2013/149 रायपुर, दिनांक 20.06.2013 द्वारा जारी दिशानिर्देश के बिन्दु क्रं. 8(3) अनुसार युवा गतिविधियों को प्रोत्साहित एवं क्रियान्वित करने के लिए जनपद स्तर पर क्रियान्वयन समिति गठित करने का प्रावधान है। क्रियान्वयन समिति द्वारा युवा प्रोत्साहन केन्द्र के माध्यम से योजनांतर्गत सुझायी गई गतिविधियों/कार्यक्रमों में से स्थानीय आवश्यकता एवं रुचियों के आधार पर चयनित गतिविधियों का आयोजन वर्षभर किया जायेगा, किन्तु दक्षता संपरीक्षा के परिणामों से ज्ञात हुआ कि अधिकांश जनपद पंचायतों में क्रियान्वयन समिति का गठन ही नहीं किया गया है, केवल जनपद पंचायत बिल्हा में योजना प्रारंभ के 6 वर्ष पश्चात किया गया। जनपद पंचायतों में क्रियान्वयन एवं क्रय समिति के गठन के अभाव में योजना का क्रियान्वयन जारी दिशानिर्देशानुसार नहीं किये जाने से योजना अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाया। जनपद पंचायतों में क्रियान्वयन समिति के गठन की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.	जिले का नाम	जनपद पंचायत का नाम	क्रियान्वयन समिति के गठन की स्थिति	क्रय समिति के गठन की स्थिति
1	बिलासपुर	कोटा	नहीं	नहीं
2	बिलासपुर	बिल्हा	दिनांक 30.09.2019 को गठन	दिनांक 30.09.2019 को गठन
3	जांजगीर-चांपा	पामगढ़	नहीं	नहीं
4	जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	नहीं	नहीं
5	मुंगेली	मुंगेली	नहीं	नहीं
6	मुंगेली	लोरमी	नहीं	नहीं
7	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	पेण्ड्रा	नहीं	नहीं

2.2 नेहरू युवा केन्द्र से समन्वय का अभाव :-

योजना के दिशा-निर्देश के बिन्दु क्रं. 8(7) अनुसार योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिये नेहरू युवा केन्द्र के नेशनल यूथ कॉप के माध्यम से विकासखंडों के युवाओं को चिन्हांकित किया जाना था। जिसके लिए नेहरू युवा केन्द्र के पास उपलब्ध डाटा का उपयोग किया जाना था। नेहरू युवा केन्द्र, केन्द्रशासन की एक स्वशासी संस्था है जो युवा विकास के क्षेत्र में लम्बी अवधि से कार्यरत है, नेहरू युवा केन्द्र के अनुभवों का उपयोग किए जाने से योजना के संचालन में सुविधा होती। योजना के दिशानिर्देश में नेहरू युवा केन्द्र से समन्वय स्थापित किए जाने के निर्देश है, किन्तु अंकक्षित किसी भी जनपद पंचायत द्वारा नेहरू युवा केन्द्र से किसी प्रकार का समन्वय स्थापित नहीं किया गया। नेहरू युवा केन्द्र से समन्वय की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.	जिले का नाम	निकाय का नाम	नेहरू युवा केन्द्र(नेशनल यूथकॉप) के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन/समन्वय की स्थिति
1	बिलासपुर	जनपद पंचायत कोटा	नहीं
2	बिलासपुर	जनपद पंचायत बिल्हा	नहीं
3	जांजगीर-चांपा	जनपद पंचायत पामगढ़	नहीं
4	जांजगीर-चांपा	जनपद पंचायत जैजैपुर	नहीं
5	मुंगेली	जनपद पंचायत मुंगेली	नहीं
6	मुंगेली	जनपद पंचायत लोरमी	नहीं
7	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	जनपद पंचायत पेण्ड्रा	नहीं

नेहरू युवा केन्द्र के अधीन विकास खण्ड स्तर पर नेशनल यूथ कॉप इस योजना के जनपद पंचायत स्तरीय युवा प्रोत्साहन केन्द्र के संयोजक/सहसंयोजक होने चाहिए थे। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के निर्देशन में जनपद स्तरीय क्रियान्वयन समिति द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना का क्रियान्वयन, संबंधित कार्यालयीन कार्य को करने, युवाओं को जोड़ने, पंजीयन करने आदि कार्यों का संचालन युवा प्रोत्साहन केन्द्र के माध्यम से किया जाना था, किन्तु जनपद पंचायतों द्वारा नेहरू युवा केन्द्र से समन्वय स्थापित नहीं किया गया, जिससे नेहरू युवा केन्द्र के उचित मार्गदर्शन एवं सहयोग के अभाव में योजना अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्ण सफल नहीं हो सकी।

2.3 विकासखंड स्तर पर युवा प्रोत्साहन केन्द्र के स्थापना का अभाव :-

योजना के दिशा-निर्देश के बिन्दु क्रं. 9(1) अनुसार विकासखंड स्तर पर युवा प्रोत्साहन केन्द्र स्थापित किया जाना था। युवा प्रोत्साहन केन्द्र को शासन/पंचायत द्वारा सहायता प्रदान किया जाना था। युवा प्रोत्साहन केन्द्र में विकासखंड के युवाओं को आवश्यकतानुसार योजना के उद्देश्यों के अनुरूप प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन दिया जायेगा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के नेतृत्व क्षमता एवं कौशल विकास का कार्य किया जा सकेगा, किन्तु अंकेक्षित किसी भी जनपद पंचायत द्वारा विकासखंड स्तर पर युवा प्रोत्साहन केन्द्र स्थापित नहीं किया गया। विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.	जिले का नाम	निकाय का नाम	युवा प्रोत्साहन केन्द्र स्थापना की स्थिति
1	बिलासपुर	जनपद पंचायत कोटा	नहीं
2	बिलासपुर	जनपद पंचायत बिल्हा	नहीं
3	जांजगीर-चांपा	जनपद पंचायत पामगढ़	नहीं
4	जांजगीर-चांपा	जनपद पंचायत जैजैपुर	नहीं
5	मुंगेली	जनपद पंचायत मुंगेली	नहीं
6	मुंगेली	जनपद पंचायत लोरमी	नहीं
7	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	जनपद पंचायत पेण्ड्रा	नहीं

विकासखंड स्तर पर युवा प्रोत्साहन केन्द्र स्थापित नहीं किये जाने से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं में आपसी मेल-जोल बढ़ाने का अवसर नहीं मिल पाया एवं समाज में रचनात्मक भूमिका निर्वाह करने हेतु उनकी नेतृत्व एवं संगठनात्मक क्षमता को विकसित करने हेतु उपयुक्त प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन नहीं किया जा सका, जिससे योजना अपने मूल लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूर्ण सफल नहीं हो पायी।

2.4 युवाओं के पंजीयन में निर्धारित प्रक्रिया के पालन का अभाव:-

योजना के दिशा-निर्देश के बिन्दु क्रं. 8(1) एवं 8(2) के अनुसार युवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर गठित/पंजीकृत युवा मण्डलों के युवाओं को शामिल किया जाना है एवं नये युवाओं को जोड़ा जाना है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा नेहरू युवा केन्द्र के नेशनल यूथ कॉप के सहयोग से युवाओं को जोड़ने, पंजीयन करने का कार्य दिशानिर्देश के बिन्दु क्रं. 13 अनुसार निर्धारित पंजीयन प्रपत्र में किया जायेगा, किन्तु

जनपद पंचायतों द्वारा युवाओं के पंजीयन हेतु उक्त दिशानिर्देशों का पालन न किया जाकर सीधे चयन किया गया। ग्रामीण युवाओं को स्थानीय आवश्यकताओं एवं उनके रुचियों से संबंधित क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिये जाने से युवाओं का योजना के दिशा-निर्देशानुसार सर्वांगीण विकास होना संदिग्ध है। पंजीयन प्रपत्र **परिशिष्ट (01)** में संलग्न है।

2.5 वार्षिक कार्ययोजना तैयार किये बिना व्यय अनियमित :-

योजना के दिशानिर्देश के बिन्दु क्रं. 10 अनुसार जनपद पंचायत स्तरीय क्रियान्वयन समिति द्वारा युवा प्रोत्साहन केन्द्र के माध्यम से सुझायी गयी गतिविधियों/कार्यक्रमों में से स्थानीय आवश्यकताओं एवं रुचियों के आधार पर चयनित गतिविधियों का आयोजन वर्ष भर किया जावेगा, इस हेतु जनपद पंचायत की सामान्य सभा से वर्ष भर की मासिक गतिविधियों की कार्ययोजना, कैलेंडर तथा बजट का अनुमोदन कराया जायेगा। तदुपरांत प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा दी जावेगी, किन्तु अंकक्षित जनपद पंचायतों द्वारा मासिक गतिविधियों के अनुसार वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर जनपद पंचायत के सामान्य सभा से अनुमोदन प्राप्त किया जाना नहीं पाया गया। विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.	निकाय का नाम	वार्षिक कार्ययोजना तैयार किये जाने की स्थिति	वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन सामान्य सभा से कराये जाने की स्थिति
1	जनपद पंचायत कोटा	नहीं	नहीं
2	जनपद पंचायत बिल्हा	नहीं	नहीं
3	जनपद पंचायत पामगढ़	नहीं	नहीं
4	जनपद पंचायत जैजैपुर	नहीं	नहीं
5	जनपद पंचायत मुंगेली	नहीं	नहीं
6	जनपद पंचायत लोरमी	नहीं	नहीं
7	जनपद पंचायत पेण्ड्रा	नहीं	नहीं

वार्षिक कार्ययोजना तैयार किये बिना एवं सामान्य सभा से अनुमोदन के अभाव में योजनांतर्गत कार्यों पर किया गया समस्त भुगतान अप्राधिकृत है। अंकक्षित जनपद पंचायतों द्वारा किये गये भुगतान का विवरण उदाहरण स्वरूप निम्नानुसार है:-

क्रं.	जनपद पंचायत का नाम	वित्तीय वर्ष	कार्य का विवरण	भुगतान राशि (₹)
1	कोटा	2014-15	छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण हेतु सुभाष टूर एण्ड ट्रेवल्स तथा अन्य को भुगतान	1,16,890
2	कोटा	2018-19	खेल कूद सामग्री हेतु मनोज स्पोर्ट्स बिलासपुर को भुगतान	3,85,559
3	कोटा	2018-19	खेल कूद सामग्री हेतु सर्वोदय इंटरप्राइजेस बिलासपुर को भुगतान	2,14,440
4	कोटा	2020-21	ओपन जिम शा. उ. मा. शाला शिवतराई हेतु ओरिएंटल सेल्स रायपुर को भुगतान	3,18,315
5	कोटा	2020-21	ओपन जिम शा. उ. मा. शाला केन्दा हेतु सांई बाबा एजेंसी राजनांदगांव को भुगतान	3,18,657
6	कोटा	2020-21	खेल कुद सामग्री हेतु विराज इंटरप्राइजेस रायपुर को भुगतान	5,78,668
7	बिल्हा	2018-19	पंजीकृत युवा/युवतियों को शत प्रतिशत मतदान कराने संबंधी जानकारी हेतु प्रशिक्षण	1,15,000
8	बिल्हा	2020-21	ग्राम पंचायत धौरामुड़ा में वाचनालय केन्द्र हेतु फर्नीचर क्रय एवं प्रशिक्षण का आयोजन	1,00,000
9	जैजैपुर	2021-22	जिला स्तरीय युवा उत्सव वर्ष 2021-22 के आयोजन में जैजैपुर/हसौद से प्रतिभागियों को जांजगीर लाने ले जाने हेतु बस किराया	69,000
10	मुंगेली	2019-20	जिला महोत्सव हेतु बग्गा टेंट हाउस को भुगतान	3,30,688
11	लोरमी	2014-15	विवेकानन्द युवा प्रोत्साहन योजना हेतु प्रचार प्रसार, नारा व दीवार लेखन कार्य	1,09,800
12	लोरमी	2016-17	सी.एल.टी.एस. प्रशिक्षण हरि शोभा वाटिका लोरमी एवं न्यू यादव हॉटल को भुगतान	1,09,260
13	पेण्ड्रा	2013-14	कैरियर मडई का आयोजन	47,856
14	पेण्ड्रा	2014-15	वाचनालय हेतु पुस्तक क्रय	44,794
			योग	28,58,927

वार्षिक कार्ययोजना तैयार किये बिना योजना के दिशानिर्देशों के विपरीत व्यय किये जाने से आर्थिक अनियमितता संभावित है। जनपद पंचायतों द्वारा बिना वार्षिक कार्य योजना के किये गये कार्यों का फोटोग्राफ निम्नानुसार दर्शित है:-



ग्राम पंचायत निपनिया जनपद पंचायत बिल्हा में रोजगार मेले का आयोजन



ग्राम पंचायत धौरामुझ, जनपद पंचायत बिल्हा में बांस शिल्प प्रशिक्षण शिविर का आयोजन



ग्राम पंचायत भोथिया, जनपद पंचायत जैजैपुर युवा परिवर्तन संघ कार्यक्रम



ग्राम पंचायत भरारी, जनपद पंचायत बिल्हा में मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण का आयोजन



ग्राम पंचायत भोथिया जनपद पंचायत जैजैपुर में कब्बडी प्रतियोगिता

शिवकानन्द युवा प्रोत्साहन योजनांतर्गत... वर्ष 2018 खेल का खेल खेल... ॥ बेलादुला चलो ॥

राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता बेलादुला

प्रवेश की अंतिम तिथि दिनांक 08.11.2018 सेव प्रारंभ दिनांक 09.11.2018 महिला एवं पुरुष वर्ग दिनांक 12.11.2018

अच्छे एवं के साथ आच्छे अभिप्रेत किया जाता है या बाकी वर्ग की चयन भूमि ग्राम-बेलादुला में दीपावली के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय महिला एवं पुरुष वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 08.11.2018 से 12.11.2018 तक रखा गया है। हमारे खिलाड़ी वंशुओं के अंतर्गत है कि अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाएं।

पुरुष वर्ग		महिला वर्ग	
प्रथम	द्वितीय	प्रथम	द्वितीय
15000 रु. एवं शील्ड	10000 रु. एवं शील्ड	10,000 रु. एवं शील्ड	7000 रु. एवं शील्ड
तृतीय	चतुर्थ	तृतीय	चतुर्थ
5000 रु. एवं शील्ड	3000 रु. एवं शील्ड	4000 रु. एवं शील्ड	3000 रु. एवं शील्ड

मुख्य अतिथि- श्री कमलकिशोर पटेल जी (अध्यक्ष, जन.पंचा. जैजैपुर)
(अध्यक्षता हाईकोर्ट बिलासपुर)
अध्यक्षता- श्री चन्द्रकुमार चन्दा जी (उपाध्यक्ष जन.पंचा. जैजैपुर)

विशेष अतिथि
श्रीमते ज्ञानकी देवी चन्दा जी (अध्यक्ष, जन.पंचा. जैजैपुर)
श्रीमते नीमा मोहन चन्दा जी (अध्यक्ष, जन.पंचा. जैजैपुर)
श्रीमते शारदा हौरा भादवाजी जी (उप.पंचायत सदस्य)
श्रीमते विनीता जय चन्दा जी (सदस्य जन.पंचायत जैजैपुर)
श्री कछोराम चन्दा जी (संघातक संस्कार स्कूल जैजैपुर)
श्री गुरुदास सिंह चन्दा जी (संघातक जी.एल.सी. स्कूल जैजैपुर)
श्री सुरेश अववाल जी (अध्यक्ष चंचल ऑन लाईन जैजैपुर)
श्री योगेश मोहंन जैजैपुर (योगेश अववाल जैजैपुर)
श्री शिरोमणी चन्दा जी (संघातक चन्द्रा केडने वितालपुर)
श्री मुनव चन्दा जी (संघातक राम पंचायत कोयंबटोर)
श्री चन्द्रप्रकाश चन्दा जी (कलमटोर)

नोट-मेट की व्यवस्था किया गया है।
खिलाड़ियों के लिये भोजन एवं आवास की व्यवस्था किया गया है।

विजय व शान्ति
1. निर्धारित का निर्धारित खेल व कार्यक्रम होगा।
2. निर्धारित का खेल के खेल व खेल का समय निर्धारित होगा।
3. निर्धारित की निर्धारित व निर्धारित का निर्धारित खेल व कार्यक्रम होगा।

विनीत
समस्त ग्रामवासी बेलादुला

ग्राम पंचायत बेलादुला जनपद पंचायत जैजैपुर में कब्बडी प्रतियोगिता



ग्राम पंचायत कुटराबोड, जनपद पंचायत जैजैपुर में सेना भर्ती पूर्व अभ्यास का आयोजन

2.6 गतिविधियों के संचालन, प्रशिक्षण आदि में मासिक व्यय सीमा के पालन का अभाव :-

योजना के दिशानिर्देश के बिन्दु क्रं. 9(2) के अनुसार योजना के संचालन हेतु प्रति जनपद पंचायत लगभग ₹ 6,00,000 का वार्षिक अनुदान प्रदाय किया जाना है। अनुदान की राशि से कार्यालय संचालन, स्टेशनरी, फर्नीचर, दूरभाष आदि का प्रतिवर्ष लगभग ₹ 1,00,000 का व्यय किये जा सकने का प्रावधान है। शेष राशि ₹ 5,00,000 योजना में उल्लेखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये विभिन्न कार्यक्रमों, गतिविधियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं प्रचार प्रसार आदि पर व्यय किया जाना है। तथापि योजना के उद्देश्यों के अनुरूप गतिविधियों के संचालन, प्रशिक्षण हेतु प्रतिमाह अधिकतम ₹ 40,000 व्यय किया जाना है। राशि की उपलब्धता की स्थिति में अन्य आवश्यक/विविध व्यय किया जा सकता है जो प्रति विकासखंड प्रतिवर्ष अधिकतम ₹ 5,000 है। किन्तु जनपद पंचायतों द्वारा उक्त सीमा का पालन न कर निर्देशों के विपरीत अनियमित रूप से भुगतान किया गया। जनपद पंचायतों द्वारा प्रतिमाह अधिकतम ₹ 40,000 से अधिक किये गये व्यय/भुगतानों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. जनपद पंचायत कोटा में 8 दिवसीय युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु फरवरी 2015 में एकमुश्त राशि ₹ 3,35,000 व्यय किया गया।
2. जनपद पंचायत कोटा द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला केन्दा में ओपन जिम हेतु साईं बाबा एजेंसी रायपुर को एकमुश्त राशि ₹ 3,18,657 का भुगतान किया गया साक्ष्य **परिशिष्ट क्रं. (02)** में दर्शित है, इसी प्रकार शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला शिवतराई में ओपन जिम हेतु ओरिएंटल सेल्स कार्पोरेशन रायपुर को ₹ 2,68,150 का एकमुश्त भुगतान किया, साक्ष्य **परिशिष्ट क्रं. (03)** में दर्शित है।
3. जनपद पंचायत मुंगेली में बग्गा टेंट हाउस को जिला महोत्सव हेतु एकमुश्त राशि ₹ 3,30,688 का भुगतान किया गया।
4. जनपद पंचायत लोरमी में मार्च 2015 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के प्रचार प्रसार हेतु श्री भूपेंद्र जायसवाल मोहतरा को एकमुश्त राशि ₹ 1,12,000 का भुगतान किया गया।

शासन के निर्देशानुसार योजनांतर्गत अधिक से अधिक युवाओं के लाभ हेतु बजट का सुनियोजित ढंग से माहवार मितव्ययतापूर्वक निर्धारित सीमानुसार व्यय किया जाना था। किन्तु जनपद पंचायतों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक एकमुश्त राशि व्यय कर केवल औपचारिकता पूर्ण कर शासन के दिशानिर्देशों की अवहेलना की गई।

2.7- जनपद स्तर पर मॉनिटरिंग एवं निगरानी का अभाव :-

योजना के दिशानिर्देश के बिन्दु क्रं. 8(4) अनुसार जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन स्थायी समिति द्वारा योजना की सतत मॉनिटरिंग किये जाने तथा कार्यक्रम पर निगरानी रखा जाना था। जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति द्वारा प्रत्येक 6 माह में कार्यक्रम की समीक्षा किया जाना था। किन्तु अंकक्षित किसी भी जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति द्वारा कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग एवं निगरानी किया जाना नहीं पाया गया। विवरण निम्नानुसार हैं:-

क्रं.	जिला का नाम	निकाय का नाम	जनपद पंचायतों की सामान्य प्रशासन समिति द्वारा कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग एवं निगरानी की स्थिति
1	बिलासपुर	जनपद पंचायत कोटा	नहीं
2	बिलासपुर	जनपद पंचायत बिल्हा	नहीं
3	जांजगीर चांपा	जनपद पंचायत पामगढ़	नहीं
4	जांजगीर चांपा	जनपद पंचायत जैजैपुर	नहीं
5	मुंगेली	जनपद पंचायत मुंगेली	नहीं
6	मुंगेली	जनपद पंचायत लोरमी	नहीं
7	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	जनपद पंचायत पेण्ड्रा	नहीं

अंकक्षित किसी भी जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन स्थायी समिति द्वारा कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग एवं निगरानी नहीं किये जाने से योजना के क्रियान्वयन में सुधारात्मक सुझावों एवं उपाय के अभाव में योजना अपने मूल उद्देश्यों की प्राप्ति में पूर्ण सफल नहीं हो पायी हैं।

2.8 पृथक से लेखा संधारण का अभाव :-

योजना के दिशानिर्देश के बिन्दु क्रं. 12(1) के अनुसार जनपद स्तर पर योजना का पृथक से लेखा संधारण किया जाना था। किन्तु अंकक्षित जनपद पंचायतों द्वारा निर्देशानुसार पृथक से लेखा संधारण किया जाना नहीं पाया गया। विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.	जिला का नाम	निकाय का नाम	लेखा संधारण की स्थिति
1	बिलासपुर	जनपद पंचायत बिल्हा	वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक लेखा संधारण का अभाव
2	जांजगीर चांपा	जनपद पंचायत जैजैपुर	वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में लेजर संधारण का अभाव
3	मुंगेली	जनपद पंचायत लोरमी	नहीं

जनपद पंचायतों में पृथक लेखा संधारण के अभाव में योजनान्तर्गत आय एवं व्यय की स्थिति अस्पष्ट रहने से निधि का दुरुपयोग संभावित है।

2.9 भौतिक/वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रेषण का अभाव :-

1. दिशानिर्देश के बिन्दु क्रं. 11 अनुसार स्वीकृत कार्यक्रमों की भौतिक/वित्तीय प्रगति की जानकारी का संकलन जनपद पंचायत स्तर पर किया जाना है। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक निर्धारित प्रपत्र अनुसार प्रगति प्रतिवेदन जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भेजा जाना है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा अपने जिले की संकलित जानकारी प्रत्येक माह की 10 तारीख तक संचालक पंचायत संचालनालय, रायपुर को अनिवार्यतः उपलब्ध कराना है।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा निर्धारित प्रपत्र में त्रैमासिक प्रतिवेदन संकलित किया जाकर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रत्येक त्रैमास उपरांत यथा मार्च, जून, सितंबर एवं दिसंबर की स्थिति में भेजा जाना था।
3. वर्ष के अंत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा संचालक पंचायत संचालनालय रायपुर को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना था।

किंतु अंकक्षित जनपद पंचायतों द्वारा उक्त दिशानिर्देशों का पालन नहीं किये जाने से योजनांतर्गत संचालित कार्यक्रमों की भौतिक/वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में विभागीय अधिकारियों को अप्राप्त रही जिससे योजना में दृष्टिगत कमियों को समयबद्ध रूप से दूर नहीं किया जा सका जिससे योजना अपने मूल उद्देश्यों की प्राप्ति में पूर्ण सफल नहीं हो सकी। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन के प्रेषण की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.	जिला का नाम	निकाय का नाम	मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रेषण की स्थिति	त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रेषण की स्थिति
1	बिलासपुर	जनपद पंचायत कोटा	नहीं	हां
2	बिलासपुर	जनपद पंचायत बिल्हा	नहीं	नहीं
3	जांजगीर चांपा	जनपद पंचायत पामगढ़	नहीं	नहीं
4	जांजगीर चांपा	जनपद पंचायत जैजैपुर	नहीं	नहीं
5	मुंगेली	जनपद पंचायत मुंगेली	नहीं	नहीं
6	मुंगेली	जनपद पंचायत लोरमी	नहीं	नहीं
7	गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही	जनपद पंचायत पेण्ड्रा	नहीं	नहीं

2.10 बिना कार्ययोजना के राशि अंतरण अनियमित :-

योजना दिशा-निर्देश बिन्दु क्रं. 10 अनुसार जनपद पंचायत स्तरीय क्रियान्वयन समिति द्वारा युवा प्रोत्साहन केन्द्र के माध्यम से सुझायी गयी गतिविधियों/कार्यक्रमों (सांस्कृतिक गतिविधियों, क्षमता विकास कार्यक्रम, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा व स्वच्छता संबंधी गतिविधियां, योग एवं खेलकूद, प्राकृतिक आपदाओं के नियंत्रण में, स्वयंसेवी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने, आधुनिक कृषि तकनीकों हेतु प्रोत्साहित करना एवं सामाजिक कुरीतियों, नशा, अंधविश्वासों के प्रति सजग करना) में से स्थानीय आवश्यकताओं एवं रुचियों के आधार पर चयनित गतिविधियों का आयोजन वर्ष भर किया जाना था। इस हेतु जनपद पंचायत की सामान्य सभा से वर्ष भर की मासिक गतिविधियों की कार्ययोजना, कैलेंडर तथा बजट का अनुमोदन कराया जाना था। गतिविधियों के आयोजन में वन, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, समाज कल्याण, नेहरू युवा केंद्र, युवा कल्याण व खेलकूद जैसे विभागों के संसाधन का उपयोग करना एवं उनसे सहयोग भी लिया जाना था। किन्तु जनपद पंचायतों द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही न किया जाकर बिना कार्ययोजना के अनियमित रूप से राशि का अंतरण किया जाना पाया गया। विवरण निम्नानुसार है -

क्रं.	जिला का नाम	जनपद पंचायत का नाम	विवरण	कुल अनियमित अंतरित राशि (₹)
1	जांजगीर-चांपा	पामगढ	जिला रोजगार अधिकारी, थल सेना भर्ती प्रशिक्षण पर व्यय	56,066
2	जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	युवा संकल्प से विकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत जिला रोजगार अधिकारी को राशि अंतरण	75,000
3	जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	युवा संकल्प से विकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत जिला रोजगार अधिकारी को सैनिक भर्ती हेतु राशि अंतरण	1,65,000
4	जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	युवा संकल्प से विकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जांजगीर चांपा को थल सेना भर्ती हेतु राशि अंतरण	72,000
5	जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर चांपा को प्रीबोर्ड परीक्षा हेतु राशि अंतरण	51,334
6	जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	जिला शिक्षा अधिकारी शैक्षणिक जिला सक्ती को राज्य स्तरीय स्काउट-गाइड्स जम्बूरी शिविर हेतु राशि अंतरण। साक्ष्य परिशिष्ट क्रं. (04) में दर्शित है।	1,78,407
7	जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	युवा संकल्प से विकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जांजगीर चांपा को थल सेना भर्ती हेतु राशि अंतरण	56,066
8	जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	युवा संकल्प से विकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जांजगीर चांपा को थल सेना, वायु सेना भर्ती हेतु राशि अंतरण	78,000
9	मुंगेली	मुंगेली	जिला मिशन समन्वयक राजीव गांधी शिक्षा मिशन एवं जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली निःशुल्क आवासीय कोचिंग संचालन हेतु राशि अंतरण	2,00,000
10	मुंगेली	मुंगेली	जिला मिशन समन्वयक राजीव गांधी शिक्षा मिशन एवं जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली निःशुल्क आवासीय कोचिंग संचालन हेतु राशि अंतरण	2,00,000
11	बिलासपुर	बिल्हा	उपसंचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण बिलासपुर द्वारा रोजगार मेले का आयोजन	2,00,000
12	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	पेण्ड्रा	महाविद्यालय निपनिया में 08.02.2014 को रोजगार मेला का आयोजन हेतु उपसंचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण को राशि अंतरण	2,00,000
13	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	पेण्ड्रा	प्रत्येक ग्राम पंचायत (39 ग्राम पंचायत) को ₹ 15,000 अंतरण। साक्ष्य परिशिष्ट क्रं. (05) में दर्शित है।	5,95,000
			योग	21,26,873

किंतु अंकेक्षित जनपद पंचायतों द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही ना किया जाकर योजना मद की राशि का अन्य विभागों/संस्थाओं को अनियमित अंतरण किया गया। उपरोक्त विवरण में दर्शित संबंधित विभागों द्वारा राशि ₹ 21,26,873 का समायोजन नहीं किये जाने से राशि के दुरुपयोग की संभावना है।

2.11 अभिलेख के अभाव में किया गया भुगतान/अंतरण राशि संदिग्ध:-

योजना की दक्षता संपरीक्षा में अनेक प्रकरणों में राशि का भुगतान/अंतरण किया जाना पाया गया, किन्तु भुगतान/अंतरण राशि के समर्थन अभिलेख जैसे नोटशीट, प्रशासकीय स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, मांग पत्र, पावती, उपयोगिता प्रमाण पत्र, प्रमाणक आदि अनुपलब्ध रहे। अभिलेख के अभाव में भुगतान/अंतरण राशि ₹ 10,40,128 संदिग्ध है जिसके संबंध में सूक्ष्म जांच आवश्यक है। विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	जिला का नाम	जनपद पंचायत का नाम	दिनांक	विवरण	राशि (₹)
1	मुंगेली	मुंगेली	13/09/2019	जिला रोजगार अधिकारी मुंगेली	50,000
2	मुंगेली	मुंगेली	27/12/2019	बग्गा टेंट हाउस भुगतान	3,30,688
3	मुंगेली	मुंगेली	27/12/2019	जिला शिक्षा अधिकारी	50,000
4	मुंगेली	मुंगेली	13/03/2020	सोलंकी स्पोर्ट्स को भुगतान	33,360
5	मुंगेली	मुंगेली	13/03/2020	बिलासपुर हैंडलूम को भुगतान	76,290
6	मुंगेली	लोरमी	2018-19	जानकारी अप्राप्त	1,18,352
7	मुंगेली	लोरमी	2019-20	जानकारी अप्राप्त	1,25,128
8	मुंगेली	लोरमी	2019-20	जानकारी अप्राप्त	1,16,310
9	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	पेण्ड्रा	26/07/2019	ग्राम गनियारी को अंतरण	1,40,000
				योग	10,40,128

2.12 बिलासपुर क्षेत्रांतर्गत आर्ट ऑफ लिविंग से 08 दिवसीय प्रशिक्षण में निर्देशों के विपरीत अनियमित भुगतान:-

योजना के दिशानिर्देश के अनुसार वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर जनपद की सामान्य सभा से अनुमोदन पश्चात व्यय करने का प्रावधान है। बिलासपुर जिला अंतर्गत जनपद पंचायतों में जिला पंचायत बिलासपुर के पत्र क्रं. /स्वा.वि.यु.प्रो.यो./जि.पं./2014/1181 बिलासपुर दिनांक 28/07/2014 (संलग्न परिशिष्ट क्रं. 06) द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए एवं सामान्य सभा से अनुमोदन पश्चात द आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा 08 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश थे। किन्तु जनपद पंचायतों द्वारा योजना के दिशानिर्देशों का पालन किए बिना प्रशिक्षण हेतु राशि द आर्ट ऑफ लिविंग संस्था को भुगतान किया गया। प्रशिक्षण से संबंधित अभिलेख संपरीक्षा में अनुपलब्ध होने से भुगतान संदिग्ध है, विभिन्न जनपदों द्वारा द आर्ट ऑफ लिविंग संस्था को किए गए भुगतान का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.	जनपद पंचायत का नाम	दिनांक	विवरण	राशि (₹)
1	पेण्ड्रा	02.06.2015	08 दिवसीय युवा नेतृत्व प्रशिक्षण हेतु द आर्ट ऑफ लिविंग संस्था को भुगतान	1,11,250
2	कोटा	05.02.2015	08 दिवसीय युवा नेतृत्व प्रशिक्षण हेतु द आर्ट ऑफ लिविंग संस्था को भुगतान	3,35,000
3	बिल्हा	28.04.2015	08 दिवसीय युवा नेतृत्व प्रशिक्षण हेतु द आर्ट ऑफ लिविंग संस्था को भुगतान	1,72,500
			योग	6,18,750

अध्याय-3

निष्कर्ष एवं सुझाव

1. निष्कर्ष :-

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास नवा रायपुर अटल नगर द्वारा दिनांक 20.06.2013 को स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करते हुये दिशा निर्देश जारी किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण युवाओं में सकारात्मक एवं सृजनात्मक सोच का विकास कर उनमें नैतिक सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देना, सामाजिक सरोकार की भावना विकसित करना, समाज में रचनात्मक भूमिका का निर्वाह करने हेतु उनकी नेतृत्व एवं संगठनात्मक क्षमता का विकास कर विभिन्न क्षेत्रों में स्वयंसेवी सहभागिता को प्रोत्साहित करना है।

1. इस अनुक्रम में जनपद स्तर पर स्थानीय आवश्यकता एवं रुचियों के आधार पर चयनित गतिविधियों को प्रोत्साहित एवं क्रियान्वित करने हेतु क्रियान्वयन समिति गठित करने का प्रावधान है। अंकेक्षित जनपद पंचायत द्वारा क्रियान्वयन समिति का गठन नहीं किये जाने से योजना अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्ण सफल नहीं हो पायी।
2. नेहरू युवा केंद्र, केंद्र शासन की एक स्वशासी संस्था है जो ग्रामीण युवाओं के सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत है। नेहरू युवा केंद्र से समन्वय स्थापित करने से अत्यधिक सुविधा होती, किंतु अंकेक्षित जनपद पंचायत द्वारा नेहरू युवा केंद्र से समन्वय स्थापित नहीं किये जाने से उचित मार्गदर्शन एवं सहयोग के अभाव में योजना अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्ण सफल नहीं हो सकी।
3. योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर एवं जनपद पंचायत स्तर पर निर्धारित पंजीयन प्रपत्र के माध्यम से युवाओं को जोड़ने एवं पंजीयन किये जाने का प्रावधान किया गया है, किंतु अंकेक्षित जनपद पंचायत द्वारा ग्रामीण युवाओं का पंजीयन, पंजीयन प्रपत्र के माध्यम से नहीं किया गया। जिसके कारण ग्रामीण युवाओं को स्थानीय आवश्यकता एवं उनकी रुचियों से संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होने से योजना के दिशानिर्देशानुसार युवाओं के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य प्राप्त होना संदिग्ध है।

4. योजना के क्रियान्वयन जनपद पंचायत स्तर पर गठित क्रियान्वयन समिति द्वारा वार्षिक कार्ययोजना तैयार किया जाकर जनपद पंचायत सामान्य सभा के अनुमोदन से किया जाना था, किंतु अंकेक्षित जनपद पंचायतों द्वारा बिना किसी कार्ययोजना एवं सक्षम अनुमोदन के कार्यक्रम संचालित कर व्यय किया गया। योजना के प्रावधानानुसार व्यय नहीं किया जाना गंभीर आर्थिक अनियमितता है।
5. योजनांतर्गत गतिविधियों के संचालन, प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार आदि में अधिकतम मासिक व्यय सीमा निर्धारित की गई है किंतु अंकेक्षित जनपद पंचायतों द्वारा निर्धारित मासिक व्यय सीमा से अधिक व्यय कर शासन के दिशानिर्देशों की अवहेलना की गई है।
6. जारी दिशानिर्देश अनुसार योजनांतर्गत जनपद पंचायत स्तर पर सामान्य प्रशासन स्थायी समिति द्वारा गतिविधियों की सतत मॉनिटरिंग एवं निगरानी का प्रावधान किया गया है। किंतु अंकेक्षित किसी भी जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन स्थायी समिति द्वारा कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग एवं निगरानी नहीं किये जाने से योजना के क्रियान्वयन में सुधारात्मक सुझावों एवं उपाय के अभाव में योजना अपने मूल उद्देश्यों की प्राप्ति में पूर्ण सफल नहीं हो पायी हैं।
7. शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार योजनांतर्गत स्वीकृत कार्यक्रमों की भौतिक/वित्तीय प्रगति की जानकारी का संकलन जनपद पंचायत स्तर पर किया जायेगा एवं निर्धारित समयावधि में विभाग के उच्चाधिकारियों को अनिवार्यतः उपलब्ध कराया जायेगा। किंतु अंकेक्षित जनपद पंचायत द्वारा उक्त दिशानिर्देशों का पालन नहीं किये जाने से योजनांतर्गत संचालित कार्यक्रमों की भौतिक/वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि तक उच्च विभागीय अधिकारियों को अप्राप्त रही। जिससे योजना में दृष्टिगत कमियों को समयबद्ध रूप से दूर नहीं किया जा सका, जिससे योजना अपने मूल उद्देश्यों की प्राप्ति में पूर्ण सफल नहीं हो सकी।
8. दिशा निर्देशानुसार जनपद पंचायत स्तर पर क्रियान्वयन समिति द्वारा वर्ष भर की मासिक गतिविधियों का कार्ययोजना तैयार कर सामान्य सभा से उक्त कार्ययोजना, कैलेण्डर तथा बजट का अनुमोदन कराया जाना था एवं कार्यक्रमों के संचालन हेतु शासन के अन्य विभागों जैसे- वन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, समाज कल्याण, युवा कल्याण व खेलकूद के संसाधन एवं उनका सहयोग लिया जाना था। किंतु अंकेक्षित जनपद पंचायतों द्वारा उक्तानुसार कार्यवाही न किया जाकर योजना मद की राशि का अन्य विभागों/संस्थाओं को अनियमित अंतरण किया गया।

2. सुझाव :-

1. योजनांतर्गत शासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों का विधिवत् पालन नहीं किये जाने से योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूर्ण सफल नहीं हो पायी। अतः योजना के दिशानिर्देशों का जनपद स्तर पर कड़ाई से पालन कराये जाने की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट हैं ।
2. योजनांतर्गत संचालित कार्यों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु योजना के दिशानिर्देशों पर समीक्षा बैठक एवं संपूर्ण प्रक्रिया का प्रशिक्षण संबंधित कर्मचारी/अधिकारी को दिया जाना अतिआवश्यक है।
3. योजना के क्रियान्वयन में दृष्टिगत कमियों को दूर करने के लिये योजना के मॉनिटरिंग एवं निगरानी प्रणाली के सुदृढीकरण की आवश्यकता है। इस संबंध में जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों को भी योजना के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना उचित होगा।
4. जनपद पंचायत स्तर पर योजना से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यवाही के संबंध में चेकलिस्ट सिस्टम तैयार कर चेकलिस्ट अनुसार कार्यवाही पूर्ण होने पर ही भुगतान सुनिश्चित किया जावें। योजना की चेकलिस्ट दिशानिर्देशों के साथ संलग्न किया जाये जो योजना के विधिवत् क्रियान्वयन में बहुउपयोगी साबित होगी। योजना की चेकलिस्ट **परिशिष्ट क्रं. (07)** में संलग्न है।
5. शासन द्वारा जारी दिशानिर्देश अनुसार योजना के प्रचार-प्रसार हेतु प्रति विकासखण्ड वार्षिक ₹ 1,00,000 निर्धारित किया गया है। उक्त राशि का उपयोग सुनियोजित ढंग से किया जावे जिससे अधिक से अधिक ग्रामीण युवा योजना के उद्देश्यों, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों से अवगत एवं लाभान्वित हो सके।
6. शासन द्वारा जारी दिशानिर्देश अनुसार योजनांतर्गत संचालित स्वीकृत कार्यक्रमों की भौतिक/वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा में विभाग के उच्च अधिकारियों को अनिवार्यतः उपलब्ध कराया जावे जिससे समयबद्ध एवं सुचारु रूप से स्वीकृत कार्यक्रमों का संचालन किया जा सकें। प्रतिवेदन प्राप्ति के पश्चात् ही अगली किस्त जारी किये जाने का प्रावधान किया जाना चाहिये।

अध्याय-4

संपरीक्षा कार्य में सम्मिलित छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के अधिकारी एवं कर्मचारियों की सूची

कार्यालय का नाम	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम
संचालनालय	डॉ आशीष मिश्रा श्री गिरीश कुमार पुरे श्री डोमन लाल साहू श्री अवधेश दिल्लीवार श्रीमती किरण पाण्डेय	अतिरिक्त संचालक संयुक्त संचालक सहायक संचालक ज्येष्ठ संपरीक्षक सहायक संपरीक्षक
क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर	श्री पीयूष प्रसाद श्रीमती अंजनी राजपूत श्री प्रदीप कुमार सोनकर श्री पंकज कुमार मित्तल श्री कमलेश्वर राम श्री विष्णु प्रसाद वर्मा श्री जी. पी. बांधे श्री राहुल कुमार श्री जुनैद खान श्री रमेश कुमार खुंटे श्री अरुण पाण्डेय श्री अंकित सोनी	संयुक्त संचालक सहायक संचालक सहायक संचालक सहायक संचालक सहायक संचालक ज्येष्ठ संपरीक्षक ज्येष्ठ संपरीक्षक ज्येष्ठ संपरीक्षक ज्येष्ठ संपरीक्षक ज्येष्ठ संपरीक्षक सहायक संपरीक्षक सहायक संपरीक्षक

अध्याय-5

परिशिष्ट

कड़िका क्रं.-2.4

परिशिष्ट क्रं.-01

स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना पंजीयन प्रपत्र

13. पंजीयन प्रपत्र

**स्वामी विवेकानंद
युवा प्रोत्साहन योजना
// पंजीयन प्रपत्र //**

फोटो

क्र.	जनपद पंचायत का नाम ग्राम पंचायत का नाम	
1	युवा का नाम	
2	पिता का नाम	
3	जाति	अनु जाति / अजजा / अपिव / सामान्य
4	जन्म तिथि	
5	पूरा पता	
6	सम्पर्क नं.	
7	ग्राम मंडल का नाम यदि किसी से सम्बद्ध हो तो	
8	शैक्षणिक योग्यता	
9	क्षेत्र जिसमें कौशल विकास हेतु इच्छुक है	
10	उपलब्धियाँ कोई हो तो	
11	कोई उत्कृष्ट कार्य (विवरण सलग्न करें)	

हस्ताक्षर

नाम:-

पता:-

मो.नं:-

श्री/शु. किया गया। को पंजीकृत (पंजीयन क्रमांक)

दिनांक

संयोजक/सह संयोजक के हस्ताक्षर

13

कंडिका क्र.-2.6

परिशिष्ट क्र.-03

शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला शिवतराई , जनपद पंचायत कोटा जिला बिलासपुर में योजना मद से ओपन जिम हेतु सामग्री क्रय

SUPPLY ORDER

Against Chhattisgarh State Industrial Development Corporation Ltd. Rate Contract

JANPAD PANCHAYAT KOTA,
BILASPUR

Supply Order No. - 320092800016
Date : 28-September-2020

M/s ORIENTAL SALES CORPORATION
SF 58, SAMVET SHIKHAR BESIDE DB CORPORATE
RAIPUR
RAIPUR, CHHATTISGARH
Mobile Number - 9926115100
Email - orientalsales123@gmail.com

This Supply order is being placed for under mentioned material in terms of CSIDC Ltd. Rate Contract No. 0911 dated 20-November-2019 valid From 20-November-2019 to 30-September-2020 to create a specific contract between the contractor named above.

1. SANDHYA RANI KURRE, CEO JANPAD PANCHAYAT KOTA, BILASPUR

1.1 SANDHYA RANI KURRE, CEO JANPAD PANCHAYAT KOTA, Janpad Panchayat Kota Tehsil Kota District Bilaspur, BILASPUR

S.No.	Item Code	Description	Unit	Qty	Rate/Unit (Rs.)	Total Value (Rs.)
1	700001080	CHEST PRESS EQUIPMENT	Units	1	₹ 52,200	₹ 52,200
2	700001082	CYCLE	Units	1	₹ 29,850	₹ 29,850
3	700001085	MULTI FUNCTIONAL TRAINER	Units	1	₹ 26,700	₹ 26,700
4	700001088	ROWER	Units	1	₹ 32,500	₹ 32,500
5	700001089	SEATING AND STANDING TWISTER	Units	1	₹ 29,000	₹ 29,000
6	700001092	SKY WALKER	Units	1	₹ 38,000	₹ 38,000
7	700001100	AIR WALKARCUMLEGPRESSCUMSHOULDERBUILDER	Units	1	₹ 59,900	₹ 59,900
Total (Rs.)						₹ 2,68,150
DDO Total						₹ 2,68,150
Grand Total (Rs.)						₹ 2,68,150

1. Inspection Authority : SGS India Pvt Ltd, Plot No 43, R R Arcade, Block-M2, MP Nagar, Zone-II, Bhopal, BHOPAL.

2. GST : As applicable

3. Other Charges (if any) : None

4. Terms of Delivery : N/A

5. Delivery Period (in Days) : 45 Days

6. Mode of Transport : N/A

7. Paying Terms : N/A

8. Head of Accounts to which debit is to be raised: N/A

9. Order Remarks : N/A

All other terms & condition mentioned in the aforesaid Rate Contract shall be applicable.
For & Behalf of
SANDHYA RANI KURRE
CEO JANPAD PANCHAYAT KOTA, BILASPUR
Panchayat and Rural Development Department

Copy To :
1. Paying Authority : सहायक लेखा अधिकारी
जनपद पंचायत कोटा

कंडिका क्र.-2.10

परिशिष्ट क्र.-04

जनपद पंचायत जैजपुर में राज्य स्तरीय स्काउट गाइड जम्बूरी के आयोजन हेतु योजना मद से अंतरण
विषयक आदेश

कार्यालय कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा

क्रमांक / 6097 / स्का.गा. / जम्बूरी / 2017-18 / की. जाजगीर दिनांक 19 / 12 / 2017
प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत
जिला- जांजगीर चांपा

विषय:- तृतीय राज्य स्तरीय स्काउट/गाइड जम्बूरी 2017-18 हेतु राशि प्रदान करने विषयक।
संदर्भ:- भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छ.ग.मुख्यालय रायपुर का पत्र क्र. 837 / स्का.गा. / रायपुर दि. 05.10.2017।

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छ.ग.राज्य मुख्यालय रायपुर द्वारा तृतीय राज्य स्तरीय स्काउट-गाइड्स जम्बूरी शिविर माह दिसम्बर में दिनांक 28/12/2017 से 02/01/18 तक, स्थान सोमनी जिला राजनांदगांव में आयोजित किया जा रहा है। उक्त आयोजन में भाग लेने जा रहे अपने जिले से 262 स्काउट/गाइड, रोवर/रेजर एवं स्काउट मास्टर/ गाइड कैप्टिन को भेजा जाना है। विद्यालयों में उक्त मद में राशि नहीं होने के कारण राशि की व्यवस्था जनपद पंचायत में उपलब्ध स्वामीदेवकानन्द युवा प्रोत्साहन योजना मद से किया जाना है। विभिन्न जनपदों शामिल होने वाले प्रतिभागियों के अनुसार प्रति प्रतिभागी रूपये 2291.00 रूपये की दर से कुल राशि दिनांक 22/12/2017 तक बैंक के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

क्र.	जनपद का नाम	प्रतिभागियों की संख्या	प्रतिभागी की राशि	कुल राशि
1	सक्ती	82	2291.00	187862.00
2	जैजपुर	77	2291.00	173407.00
3	मालखरीदा	54	2291.00	123714.00
4	डमरा	49	2291.00	112259.00
	योग			600242.00

उक्त कार्य महत्वपूर्ण है। समयसीमा का विशेष ध्यान रखते हुए कार्य पूर्ण करें।

(हस्ताक्षर)
कलेक्टर
जांजगीर चांपा

पृ.क्र / 6098 / जम्बूरी स्का.गा. / प्रशि.शि. / 2017-18 / की. जाजगीर दिनांक 19 / 12 / 2017
प्रतिलिपि-

- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला जांजगीर चांपा की ओर सूचनार्थ।
- जिला शिक्षा अधिकारी शैक्षणिक जिला सक्ती जिला जांजगीर चांपा की ओर सूचनार्थ।

(हस्ताक्षर)
कलेक्टर
जांजगीर चांपा

कंडिका क्र.-2.10

परिशिष्ट क्र.-05

जनपद पंचायत पेण्ड्रा अंतर्गत योजना में प्राप्त राशि का 39 ग्राम पंचायतों को अनियमित अंतरित राशि की जानकारी

कार्यालय जनपद पंचायत पेण्ड्रा जिला बिलासपुर (छ.ग.)		
ग्राम पंचायतों में राशि जमा करने सम्बंधी बैंक सूची		
ग्राम पंचायत	खाता क्रमांक	ग्राम पंचायत के खाते में बचत राशि
बारीचमराव	6103000-100025228	15000
बसंतपुर	6103000-100049635	15000
नवागाव	6103000-100031830	15000
कुडकई	6103000-1000 48168	15000
अमारू	6103000-100026476	15000
आमाडांड	6103000-100027396	15000
सोनबचरवार	6103000-100046391	15000
अडभार	6103000-100046559	15000
जिल्दा	6103000-100046595	15000
बम्हनी	6103000-100046629	15000
तिलोरा	6103000-100046647	15000
पतगवा	6103000-100046708	15000
देवरीकला	6103000-100046771	15000
कंचनडीह	6103000-100046878	15000
दमदम	6103000-100046957	15000
पिपलामार	6103000-100046975	15000
कोटभीकला	6103000-100046993	15000
विशेशरा	6103000-100047017	15000
भाडी	6103000-100047026	15000
लाटा	6103000-100047035	15000
बचरवार	6103000-100047044	20000
जाटादेवरी	6103000-100047187	15000
पीथमपुर	6103000-100047220	15000
कौडगार	6103000-100047309	15000
सकोला	6103000-100047318	15000
खरडी	6103000-100047327	15000
मुरमुर	6103000-100047415	15000
देवरीखुर्द	6103000-100047424	15000
झाबर	6103000-100047570	15000
कुदरी	6103000-100047600	15000
अमरपुर	6103000-100047610	15000
गिरारी	6103000-100047947	20000
घघरा	6103000-100048007	15000
बंघी	6103000-100064874	15000
गोदा	6103000-100064917	15000
पनकोटा	6103000-100064883	15000
घाटबहरा	6103000-100064865	15000
जमडीखुर्द	6103000-100064908	15000
सेवरा	6103000-100064892	15000
योग		595000

संलग्न - चेक क्रमांक 489574 दिनांक 17/01/16 राशि 595000.00
 ₹0 पांच लाख पन्चान्वे हजार ₹0 मात्र

DAB

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 जनपद पंचायत, पेण्ड्रा
 जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

कंडिका क्र.-2.12

परिशिष्ट क्र.-06

जनपद पंचायत स्तर पर आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के द्वारा युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन संबंधी पत्राचार

कार्यालय जिला पंचायत बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक / स्वा.वि.यु.प्रो.यो. / जि.पं. / 2014 / 1181 बिलासपुर दिनांक 28/7/2014

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
समस्त जनपद पंचायत...
जिला बिलासपुर (छ.ग.)

विषय - स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजनान्तर्गत ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण हेतु प्रस्ताव के संबंध में।
संदर्भ - छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर का पत्र क्र. / पंचा / पचाविधि / 2013 / 149 / रायपुर दिनांक 20.06.2013.

—00—

संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि ग्रामीण युवाओं के सामाजिक नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने तथा विकास व जमीनी स्तर पर गवर्नर्स प्रक्रिया तथा आर्थिक विकास गतिविधियों में प्रभावी रूप से भाग लेने में सहायक बनाने हेतु स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के दिशा निर्देश के अनुरूप संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा युवा नेतृत्व प्रशिक्षण (वाई.एल. टी. पी.) कार्यक्रम चलाया जाता है। जो कि ग्रामीण युवाओं में सकारात्मक एवं सृजनात्मक सोच का विकास, उनमें नैतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा, उनमें अपनी मेलजोल को बढ़ावा, समाज में रचनात्मक भूमिका का निर्वाह करने हेतु उनकी नेतृत्व एवं संगठनात्मक क्षमताओं का विकास करना, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में प्रदेश के ग्रामीण युवाओं की सहभागिता को प्रोत्साहन करना, इन सभी विषयों पर उक्त संस्था कार्य करती है।

सन्. 1982 में गठित आर्ट ऑफ लिविंग संस्था विगत 30 वर्षों में अपनी सेवाओं के माध्यम से आज विश्व के 154 देशों में सफलता पूर्वक कार्य कर रही है। तत्संबंध में उक्त संस्था से जिला कार्यालय को प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं।

स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अंतर्गत 08 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए वाई.एल. टी. पी. प्रोग्राम को विशेष रूप से तैयार किया गया है जिसमें:-

1. 18 से 35 आयु वर्ग के युवक युवतियों को शामिल किया गया है।
2. योग, प्रणायाम, साधना, सेवा के माध्यम से स्वास्थ्य व्यक्तित्व का निर्माण।
3. नशा से मुक्ति हेतु विशेष कार्यशाला।
4. रसायन मुक्ति खेलों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र।
5. स्वच्छता के लिए युवाओं को प्रेरित करना।
6. सबसे महत्वपूर्ण युवाओं के लिए कैरियर गाइडेंस के लिए विशेषज्ञों के माध्यम से सेमीनार किये जाएंगे ताकि ग्रामीण युवाओं को रोजगार स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाकर उनकी आर्थिक उन्नति में सहयोग प्रदान किया जा सके।

तत्संबंध में निर्दिष्ट किया जाता है कि स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना हेतु छ.ग. शासन के प्रस्ताव दिशा निर्देश अनुसार जनपद पंचायत के नियमानुसार अनुमोदन परखात ही प्रस्ताव अनुसार कार्य करने हेतु आवश्यक एवं उचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

पू. क्रमांक / स्वा.वि.यु.प्रो.यो. / जि.पं. / 2014 / 1182

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला बिलासपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रशिक्षक आर्ट ऑफ लिविंग बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बिलासपुर
बिलासपुर दिनांक 28/7/2014

स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना की चेकलिस्ट :-

क्रं.	विवरण	वस्तुस्थिति
1	जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति द्वारा अनुदान राशि के व्यय का अनुमोदन	
2	योजना के क्रियान्वयन के लिये युवाओं को चिन्हांकन की प्रक्रिया (नेहरू युवा केन्द्र के माध्यम से अथवा सीधे)	
3	नेहरू युवा केन्द्र के पास उपलब्ध डाटा के उपयोग की स्थिति	
4	ग्राम पंचायत द्वारा योजना की समुचित निगरानी की स्थिति	
5	जनपद पंचायत द्वारा योजना की समुचित निगरानी की स्थिति	
6	जनपद पंचायत अंतर्गत सामान्य प्रशासन स्थायी समिति द्वारा योजना की सतत मॉनिटरिंग (निरीक्षण/निर्देश आदि)	
7	क्रियान्वयन समिति गठन का आदेश (प्रति संलग्न करें) (योजना निर्देश के पृष्ठ 6 के बिन्दु 3 अनुसार)	
8	जिला स्तरीय मार्गदर्शन समिति द्वारा योजना के संबंध में प्रदाय मार्गदर्शन जारी निर्देश संलग्न करें	
9	परिपत्र के बिंदु क्र0 7 के अनुसार नेहरू युवा केन्द्र की भूमिका, संपादित कार्यों का विवरण	
10	इस योजना के जनपद पंचायत स्तरीय युवा प्रोत्साहन केन्द्र के संयोजक/सह संयोजक होंगे। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के निर्देशन में जनपद पंचायत स्तरीय क्रियान्वयन समिति द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, संबंधित कार्यालयीन कार्य को करने युवाओं को जोड़ने, पंजीयन करने आदि कार्यों को संचालित करेंगे। उक्तानुसार कार्यवाही की स्थिति :-	
11	जनपद पंचायत स्तर पर क्रियान्वयन एवं क्रय समिति गठित कर योजनान्तर्गत कार्यों का क्रियान्वयन किये जाने की स्थिति	
12	विकास खण्ड स्तर पर युवा प्रोत्साहन केन्द्र स्थापना की स्थिति	
13	प्रशिक्षण के दौरान बनायी गई वस्तुओं का संग्रहण, विक्रय का पंजी में दर्ज की स्थिति	
14	उन विभागों का नाम जिनसे समन्वय कर कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित किये गये।	
15	योजना निर्देश कंडिका क्रमांक 09 (02) के क्रियान्वयन प्रक्रिया के विपरीत व्यय की आपत्ति प्रारूपित करें।	
16	जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति द्वारा प्रत्येक 6 माह में कार्यक्रम की समीक्षा की स्थिति	

17	अ – सांस्कृतिक गतिविधियाँ की स्थिति	
	1. खंड/उपखंड स्तरीय युवा सांस्कृतिक चेतना उत्सव का आयोजन (जैसे लोक संगीत/गायन/नृत्य/नाटक-एकांकी आदि स्पर्धाएं)	
	2. ग्रामीण युवाओं के लिये गायन/नृत्य/नाटक से संबंधित प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन	
	ब – क्षमता विकास कार्यक्रम की स्थिति	
	1. युवा मंडलों के प्रतिनिधियों में रचनात्मक नेतृत्व विकास हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन	
	2. किशोर वर्ग की युवतियों हेतु जीवन कौशल शिक्षा कार्यशाला का आयोजन	
	3. सामुदायिक विकास में स्वेच्छिक योगदान हेतु गतिविधियों के नियोजन व क्रियान्वयन के लिये प्रशिक्षण कार्यशाला	
	स – पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा व स्वच्छता संबंधी गतिविधियों की स्थिति	
	1. वृक्षारोपण शिविरों का आयोजन	
	2. रक्तदान शिविरों का आयोजन	
	3. संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम, साक्षर भारत कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, टीकाकरण, स्वास्थ्य जागरूकता जैसी गतिविधियों में युवाओं के स्वेच्छिक योगदान को प्रोत्साहित करने हेतु अभिप्रेरणा शिविरों/कार्यशालाओं का आयोजन	
	द – योग एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियों की स्थिति	
	1. युवाओं को योग सिखाने के लिये शिविरों कार्यशालाओं का आयोजन	
	2. वॉलीबाल, कबड्डी, खो-खो जैसे खेलों एवं एथलेटिक्स (दौड़ें, उंची –लंबी कूद, तैराकी आदि) स्पर्धाओं का आयोजन	
	3. चयनित युवा खिलाड़ियों के अभ्यास शिविरों का आयोजन	
	ई- अन्य गतिविधियां/कार्यक्रम की स्थिति	
	1. बाढ़, आग लगने या महामारी जैसे आपदाओं के नियंत्रण में प्रशासन/समुदाय को आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान करने वाली स्वयं सेवी गतिविधियों का आयोजन	
	2. आर्गेनिक खेती/आधुनिक कृषि तकनीकों पर युवाओं के लिये प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन	
	3. सामाजिक कुरीतियों, नशा व अंधविश्वासों के विरोध में तथा स्वास्थ्य व पर्यावरण जागरूकता के लिये रैलियों का आयोजन	

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a full page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page, typical of notebook or legal stationery. There are no margins, text, or other markings on the page.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा
ब्लाक-1, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़
दूरभाष कः 0771-2253808, फैक्स कः 0771-2254234

Website : www.lfa.cg.nic.in
Email: lfacg.cg@nic.in, lfacg.cg@gmail.com